रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29102026-277494
SG-DL-E-29102026-277494

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324] दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2026/कार्तिक 5, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 268
No. 324] DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2026/KARTIKA 5, 1948 [N. C. T. D. No. 268

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2026

फा. सं. 30(72)/सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/86/भाग1-भाग(2)/10876-82.— वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल एतद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए वन्यजीव बोर्ड का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

क)	माननीया मुख्यमंत्री, दिल्ली	अध्यक्ष
ख)	माननीय मंत्री (वन एवं वन्य जीव), दिल्ली	उपाध्यक्ष
ग)	1. श्री उमंग बजाज, माननीय विधायक, राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र 2. श्री गजेंद्र सिंह यादव, माननीय विधायक, महरौली निर्वाचन क्षेत्र	सदस्य

घ)	1. वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नोएडा (एनसीआर) के प्रतिनिधि 2. वाइल्डलाइफ एसओएस, नई दिल्ली के प्रतिनिधि 3. डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया, नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
ङ)	1. प्रोफेसर जे.के. त्रिपाठी, पर्यावरण विज्ञान संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली 2. प्रोफेसर पी.के. जोशी, पर्यावरण विज्ञान संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली 3. प्रोफेसर रूपम कपूर, वनस्पति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय 4. डॉ. लक्ष्मी कुमार टी0 वी0, एसोसिएट प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली 5. डॉ. अश्वनी कुमार तिवारी, सहायक प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली 6. डॉ. रागेश पी0आर0, एसोसिएट प्रोफेसर, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) 7. श्री राकेश भूषण सिन्हा, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त) 8. डॉ. एस0डी0 सिंह, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त) 9. श्री राजीव कुमार जैन, भारतीय सूचना सेवा (सेवानिवृत्त) 10. श्री रोहित मेहरा, आईआरएस अधिकारी	दस नामित सदस्य
च)	सचिव (पर्यावरण एवं वन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
छ)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सदस्य
ज)	सचिव, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
झ)	प्रबंध निदेशक, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम	सदस्य
ञ)	दिल्ली पुलिस का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त पुलिस आयुक्त के रैंक से नीचे का न हो।	सदस्य
ट)	सशस्त्र बलों का एक प्रतिनिधि, जो केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले ब्रिगेडियर के रैंक से नीचे का न हो।	सदस्य
ठ)	निदेशक, पशुपालन विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
ड)	निदेशक, मत्स्य पालन विकास विभाग , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
ढ)	निदेशक, वन्यजीव संरक्षण द्वारा नामित एक अधिकारी	सदस्य
ण)	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून का एक प्रतिनिधि	सदस्य
त)	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का एक प्रतिनिधि	सदस्य

थ)	भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का एक प्रतिनिधि	सदस्य
द)	मुख्य वन्यजीव वार्डन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	सदस्य सचिव

बोर्ड हेतु निबंधन एवं शर्तें:

i) उपरोक्त खंड (घ) और (ङ) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों की अवधि के लिए होगा।

ii) विधानमंडल के सदस्यों का कार्यकाल विधायक के रूप में उनके कार्यकाल के साथ ही समाप्त होगा।

iii) बोर्ड वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 7 के अंतर्गत यथानिर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

iv) बोर्ड वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 8 के अंतर्गत यथानिर्धारित कर्तव्यों का निष्पादन करेगा।

v) भारत सरकार के नवीनतम निर्देशों/मानदंडों के अनुसार गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक शुल्क स्वीकार्य होगा। गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता (टीए) का भी लाभ उठाने की अनुमति होगी, जैसाकि भारत सरकार के समूह-क के अधिकारियों को स्वीकार्य है ।

vi) सरकारी सदस्यों को स्वीकार्य यात्रा भत्ता (टीए) उनके संबंधित विभागों द्वारा वहन किया जाएगा।

vii) वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार भत्ते के भुगतान के संबंध में अनुमोदन प्राधिकरण होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
विजय कुमार बिधुरी, सचिव

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd October, 2026

F. No. 30(72)/CWLW/86/Part1-Part(2)/10876-82.— In exercise of the powers conferred by the Section 6 of the Wild Life (Protection) Act, 1972, the Lt. Governor of Delhi hereby constitutes the Board for Wild Life for National Capital Territory of Delhi consisting of the following members:

a)	Hon'ble Chief Minister, Delhi	Chairperson
b)	Hon'ble Minister (Forests and Wild Life), Delhi	Vice-Chairperson
c)	1. Sh. Umang Bajaj, Hon'ble Member of the Legislative Assembly, Rajender Nagar Constituency 2. Sh. Gajender Singh Yadav, Hon'ble Member of the Legislative Assembly, Mehrauli Constituency	Members

d)	1. Representative from Wildlife Trust of India, Noida (NCR) 2. Representative from Wildlife SOS, New Delhi 3. Representative from WWF-India, New Delhi	Members
e)	1. Prof. J. K. Tripathi, School of Environmental Sciences, Jawaharlal Nehru University, Delhi 2. Prof. P. K. Joshi, School of Environmental Sciences, Jawaharlal Nehru University , Delhi 3. Prof. Rupam Kapoor, Department of Botany, University of Delhi 4. Dr. Lakshmi Kumar T V, Associate Professor, School of Environmental Sciences, Jawaharlal Nehru University, Delhi 5. Dr. Ashwani Kumar Tiwari, Assistant Professor, School of Environmental Sciences, Jawaharlal Nehru University, Delhi 6. Dr. Ragesh P. R., Associate Professor, Zakir Husain Delhi College (University of Delhi) 7. Sh. Rakesh Bhushan Sinha, Indian Forest Service (Retd.) 8. Dr. S.D. Singh, Indian Forest Service (Retd.) 9. Sh. Rajeev Kumar Jain, Indian Information Service (Retd.) 10. Sh. Rohit Mehra, IRS Officer	Ten Nominated Members
f)	Secretary (Environment & Forests), Government of NCT of Delhi	Member
g)	Principal Chief Conservator of Forests	Member
h)	Secretary, Department for the Welfare of SC/ST/OBC, Govt. of NCT of Delhi	Member
i)	The Managing Director, Delhi Tourism & Transportation Development Corporation	Member
j)	A representative of the Delhi Police not below the rank of Joint Commissioner of Police	Member
k)	A representative of the Armed Forces not below the rank of Brigadier to be nominated by the Central Govt.	Member
l)	The Director, Animal Husbandry, Development Department, Government of NCT of Delhi	Member
m)	The Director, Fisheries, Development Department, Government of NCT of Delhi	Member
n)	An officer to be nominated by the Director, Wild Life Preservation	Member
o)	A representative of Wildlife Institute of India, Dehradun	Member
p)	A representative from Botanical Survey of India	Member
q)	A representative from Zoological Survey of India	Member
r)	Chief Wild Life Warden, NCT of Delhi	Member Secretary

Terms and conditions for the Board:

i) The term of office of the members mentioned in clauses (d) and (e) above shall be for a period of 3 years.

ii) The term of members of legislature shall be co-terminus with their tenure as Member of Legislative Assembly.

iii) The Board shall follow the procedure as enshrined under Section 7 of the Wild Life (Protection) Act, 1972.

iv) The Board shall perform the duties as prescribed under Section 8 of the Wild Life (Protection) Act, 1972.

v) The sitting fees shall be admissible to the non-official members as per the latest instructions/norms of the Government of India. The non-official members shall also be allowed to avail T.A. as admissible to Group A officers of the Government of India.

vi) The T.A admissible to the official members will be borne by their respective departments.

vii) The Department of Forests and Wildlife, Govt. of National Capital Territory of Delhi shall be the approving authority in respect of payment of allowances.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
VIJAY KUMAR BIDHURI, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.10.29 17:37:54 +05'30'